

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

इस चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत सभी चिकित्सक/शिक्षक/अध्ययनरत छात्र छात्राएँ/प्रयोगशाला प्रावैधिक/चतुर्थवर्ग कर्मचारी ड्रेस कोड का पालन करते हुए अपने – अपने कर्तव्य पर वर्दी/एप्रॉन में कार्यालय द्वारा निर्गत पहचान-पत्र (Identity Card) के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

विदित हो कि माननीय उच्च^{*} न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्वास्थ्य विभागीय निर्देश के आलोक में ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है, ताकि CWJC No. 6306/2000 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का शत – प्रतिशत पालन हो सके।

औचक निरीक्षण में बिना वर्दी/एप्रॉन एवं पहचान-पत्र के रायें जाने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी/प्रयोगशाला प्रावैधिक पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सरकार को सूचित किया जाएगा तथा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


इसे अत्यावश्यक समझो।

ह०/-
प्राचार्य

ज्ञापांक:- १८।५।१६
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- ७।९।१६

- 1) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) श्री शेखर चन्द्र वर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 4) सभी विभागध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 5) प्रभारी प्राध्यापक (प्रो)/Estate Officer/बरसर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 6) संबंधित सभी पदाधिकारी/छात्र/छात्राएँ/प्रयोगशाला प्रावैधिक/कर्मचारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचना पट्ट/विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 7) कॉलेज सूचना पट्ट।
- 8) I.T. Sec., श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


प्राचार्य
७।९।१६

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर